



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 19, 2007/माघ 30, 1928

No. 72]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 19, 2007/MAGHA 30, 1928

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2007

सा.का.नि. 92(अ).—केन्द्र सरकार, प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2007 का 1) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19-2-2007 को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की तिथि के रूप में नियत करती है।

[फा. सं. पी.-13021/1/2007-ए.टी.]

आर. रामानुजम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2007

G.S.R. 92(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 1 of the Administrative Tribunals (Amendment) Act, 2006 (No. 1 of 2007), the Central Government hereby appoints the 19th day of February, 2007, as the date on which the provisions of the Act shall come into force.

[F. No. P-13021/1/2007-AT]

R. RAMANUJAM, Jt. Secy.